मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

भोपाल दिनांक **21-11-2025**

क्रमांक **F-1/1/41/0037/2025-Admin2-PCCF::** राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ**-1/1/4/0018/2025-Sec-1-10,** दिनांक **17.06.2025** द्वारा **श्री अभय दुबे, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी मोहेन्द्रा, सामान्य वनमंडल दक्षिण पन्ना से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी ब्यौहारी पश्चिम, सामान्य वनमंडल उत्तर शहडोल में पदस्थ किया गया एवं शुद्धि पत्र द्वारा उक्त पदस्थापना को प्रशासकीय दृष्टि से किया गया। जिसके विरूद्ध श्री अभय दुबे द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र/W.P./23461/2025** दायर की गई, **जिसमें मान. उच्च न्यायालय जबलपुर** द्वारा दिनांक **02.09.2025 को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गये:-**

.....Accordingly, the impugned orders dated 17.06.2025 (Annexure P-1) as well as 25.06.2025 (Annexure P-1A) so far as they relate to petitioner and private respondent, are set aside. The matter is remitted back to the respondents to pass a fresh order. The respondents are at liberty to pass afresh order, mentioning the administrative exigency, which warrants the transfer of the petitioner and private respondent. The petitioner as well as the private respondent are permitted to work against the post against which they were working prior to the issuance of the impugned orders of transfer till fresh orders of transfer are passed as per this order.The writ petition is accordingly disposed of.

2/ मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय अनुसार उपरोक्त याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया है कि शासन आदेश दिनांक **17.06.2025** एवं शुद्धि पत्र दिनांक **25.06.2025** के आक्षेपित आदेश, जहाँ तक वे याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी से संबंधित हैं, अपास्त किए जाते हैं। प्रकरण को नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया गया है। प्रतिवादी अर्थात म.प्र. शासन वन विभाग प्रशासनिक आवश्यकता का उल्लेख करते हुए एक नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके कारण याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी का स्थानांतरण आवश्यक है। मान. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जब तक नए स्थानांतरण आदेश पारित नहीं हो जाते है तब तक याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी को उस पद के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति दी जाती है जिस पर वे आक्षेपित स्थानांतरण आदेश जारी होने से पहले कार्यरत थे।

3/ स्थानांतरण नीति **2025** की कण्डिका **17** अनुसार जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारी के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान किया गया है। श्री अभय दुबे, वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहेन्द्रा, सामान्य वनमंडल दक्षिण पन्ना में अगस्त **2022** से तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ हैं, अतः उक्त पद पर पुनः इनकी पदस्थापना करना प्रशासकीय दृष्टि से उचित नहीं है.

4/ दक्षिण उत्पादन बालाघाट वनमण्डल राजस्व संग्रहण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वनमंडल है, उक्त वनमण्डल अंतर्गत लांजी डिपो काष्ठ की सुरक्षा, ग्रेडिंग तथा नीलामी कार्यो हेतु अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण डिपो है जहाँ वनक्षेत्रपाल का पद रिक्त है तथा प्रशासनिक तात्कालिकता भी है.

अत: प्रशासनिक तात्कालिकता को देखते हुए तथा सम्पूर्ण रुप से विचारोपरांत राज्य शासन एतदद्वारा श्री अभय दुबे, वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहेन्द्रा, सामान्य वनमंडल दक्षिण पन्ना को प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर काष्ठागार अधिकारी, लॉजी काष्ठागार, दक्षिण (उत्पा.) वन मंडल बालाघाट के रिक्त पद पर पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
RAJESH BATHAM
Date: 21-11-2025
12:50:23
ADDITIONAL SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक**F-1/1/41/0037/2025-Admin2-PCCF** भोपाल दिनांक **21-11-2025**

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

3. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।

5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।

7. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश की ओर संबंधित वनक्षेत्रपाल को तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु, द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।

8. संबंधित श्री अभय दुबे, वनक्षेत्रपाल की ओर पालनार्थ, द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।

ADDITIONAL SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग